–:: शुद्धि पत्रक सह कार्यालय सहायक/क्लर्क पद हेतु विज्ञापन ::–

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव, अंतर्गत लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय हेतु रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एंट्री आपरेटर (टाइपिस्ट) के 02 पदों हेतु तथा कार्यालयीन (मुंशी)/अटेंडेट के 02 पद के लिए संविदात्मक भर्ती हेतु विज्ञापन कमांक–119/ जिविसेप्रा/एलएडीसीएस 2025 राजनांदगांव, दिनांक 24.01.2025 जिला न्यायालय राजनांदगांव की अधिकृत वेबसाइट में प्रकाशित किया गया था।

उक्त विज्ञापन के अनुसरण में इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र उक्त पदों हेतु प्राप्त किया गया। रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एंट्री आपरेटर (टाईपिस्ट) के रिक्त 02 पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संविक्षा उपरांत पात्र–अपात्र सूची प्रकाशित किया जाकर दावा–आपत्ति प्राप्त कर अभ्यर्थियों की अंतिम पात्र सूची भी जिला न्यायालय, राजनांदगांव की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है।

इस शुद्धि पत्रक के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव में लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम कार्यालय के लिए विज्ञापित रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एंट्री ऑपरेटर (टाईपिस्ट) के 02 पद रिक्त नहीं हैं, अपितु कार्यालय सहायक/ क्लर्क के 02 पद रिक्त हैं। अतः इस शुद्धिपत्र के साथ कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदात्मक) पद हेतु निम्नानुसार विज्ञापन पृथक से जारी किया जा रहा है :–

–:: संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन ::–

क्रमांक–९९७/जि0वि0से0प्रा0 (LADCS)/2025   राजनांदगांव, दिनांक–13.08.2025

आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	**14–08–2025 प्रातः 11:00 बजे से**
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	**15–09–2025 संध्या 05:00 बजे तक**

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव, ए0डी0 आर0 भवन, जिला न्यायालय परिसर, राजनांदगांव (छ0ग0) में रखे ड्रॉप बॉक्स में कार्यालयीन कार्य दिवस पर डालकर प्रस्तुत करें।

(अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे)

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा–निर्देश के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला राजनांदगांव (छ0ग0) के अंतर्गत कार्यालय लीगल एड डिफेंस कौसिंल सिस्टम हेतु कार्यालय सहायक/क्लर्क के निम्न रिक्त पद पर संविदात्मक भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त

भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र0	रिक्त पद	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				समान्य			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू0पू0सै0
1	कार्यालय सहायक/क्लर्क	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
योग–		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0

टीपः– **क.** परीक्षा तिथि पर अन्य कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छ0ग0) के पास सुरक्षित रहेगा।

ख. संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये ही है। नियुक्त किये गये स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है अथवा संतोषजनक कार्य नहीं पाये जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

ग. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्तमान में संविदा कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तो के लिये निर्धारित परिपत्र/नियम/शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

1. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) कार्यालय सहायक/क्लर्क पद के लिये–

अ– वेतन क्लास–बी :– संविदा एकमुश्त 17,000/– रूपये मासिक

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। (Educational Qualification : Graduation).
2. बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कम्प्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिये। (Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data).
3. पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टायपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। (Good typing speed with proper setting of petition). किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से

डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

4. श्रुतिलेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुति के लिये फाइलें तैयार करने की क्षमता होनी चाहिये। (Ability to take dictation and prepare files for presentation in the courts).
5. फाइल रखरखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिये। (File maintenance and processing knowledge).

2. आयु एवं पात्रता

(1) रोजगार कार्यालय में पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(अ)–कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब)–कोई पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन को इस बात का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) उम्मीदवार दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कैलेण्डर वर्ष 2025 की समाप्ति तक के लिये प्रदान की गई है।

(3) किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

3. उच्चतर आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी:–

3(एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(एक)(2)– छ0ग0 शासन स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ0ग0 राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3(एक)(3)– ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के अनुज्ञात किया जायेगा परन्तु उसके परिणाम स्वरूप आयु सीमा 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3(एक)(4)– ऐसे अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप में आये निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

3(एक)(5)– महिलाओं के लिए आयु में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3(एक)(6)– शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3(एक)(7)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

3(एक)(8)– स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्यधीन रहते हुये दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

3(एक)(9)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

3(एक)(10)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिये 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

3(दो)(1)– आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

नोट :– आयु सीमा में छूट हेतु सब डिवीजनल मजिस्ट्रेंट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3(दो)(2)– विक्रम पुरस्कार प्राप्त सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप–(1)– बिन्दु क्रमांक–3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2)– बिन्दु क्रमांक–3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा को सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक प्रकार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट बिन्दु क्रमांक 03 में दी गयी विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और(दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

नोट :– अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आयु सीमा छूट एवं निर्योग्यता सामान्य प्रशासन विभाग (छ0ग0 शासन) द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश अनुसार भी लागू रहेगा।

4. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 15.09.2025 की संध्या 05:00 बजे** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लेखित हो, को **कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ए0डी0आर0 भवन, जिला न्यायालय परिसर, राजनांदगांव (छ0ग0)**, में रखे **ड्रॉप बॉक्स** पर कार्यालयीन कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। **पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। दिनांक 15.09.2025 की संध्या 05:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(2) आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र), स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर), की अभिप्रमाणित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्मप्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल परीक्षा पास करने की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(4) आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के लिए आधारकार्ड/वोटर आई डी/ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।

(5) आवेदन पत्र के साथ स्वयं का नाम व पता लिखे हुए दो लिफाफे, प्रत्येक पर 05 रूपये का डाक टिकट चस्पा किया हुआ, आवश्यक रूप से चस्पा करें तथा दो पासपोर्ट साईज का फोटो पृष्ठ भाग पर नाम व पता उल्लेखित करते हुए पृथक से भेजें।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

प्रथम चरण : स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता :–

रिक्त पदों एवं उचित पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुये जारी पदों के 30 (तीस) गुणा अभ्यर्थियों की सूची उनके स्नातक में प्राप्त अंको की प्रावीण्यता (मेरिट) पर जारी की जायेगी। स्नातक के अंको के आधार पर सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जावेगा।

द्वितीय चरण : कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार :–

उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी तथा साक्षात्कार 20 अंकों की होगी, इस प्रकार कुल 120 अंकों की परीक्षा होगी। कौशल परीक्षा उपरांत समस्त अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जावेगा। उम्मीदवारों को टंकण हेतु हिन्दी का गद्यांश दिया जायेगा, जिसे परीक्षा में निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर से टाईप करना होगा। टंकण हेतु फोंटसाईज–14, लाईन–स्पेसिंग 1.5 तथा मार्जिन (टॉप 9.0 से0मी0 एवं राईट/लेफ्ट/बॉटम 3.0 से0मी0) निर्धारित किया गया है। कौशल परीक्षा Ubuntu (18.04 या अधिक) आपरेटिंग सिस्टम में Libre Office में लिया जायेगा। यूनिकोड हिन्दी (वेदमाता) फोंट का प्रयोग किया जायेगा। परीक्षार्थियों को नियत 20 मिनट की समय सीमा में उक्तानुसार टंकण करना होगा। टंकण हेतु निर्धारित फोंट व स्पेस सेटिंग, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी आधा अंक काटा जायेगा। 50 से अधिक अशुद्धियां/गलतियां होने पर उत्तर पुस्तिका अमान्य माना जायेगा।

चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची :–

कौशल परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी, जो कि 1:3 के अनुपात में होगी। तत्पश्चात् उक्त मेरिट सूची, चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची को गोपनीय बंद लिफाफे में अनुमोदन हेतु छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ0ग0) प्रेषित किया जावेगा। छ0ग0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ0ग0) से अनुमोदन उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची जिला न्यायालय राजनांदगांव के वेबसाईट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in में अपलोड की जावेगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर स्नातक में प्राप्त अंक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।

चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ0ग0) का होगा।

चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय, राजनांदगांव (छ0ग0) के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (फिटनेस) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

6. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये, कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी के साथ भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिये।**

7. अन्य आवश्यक सूचनाएं

(A) नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव (छ0ग0) को होगा।

(B) उपरोक्त पदों पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी।

(C) प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी, तथा जिला न्यायालय के वेबसाईट https://rajnandgaon.dcourts.gov.in में भी अपलोड किया जावेगा। दावा आपत्ति निर्धारित तिथि के शाम 05:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी, तत्पश्चात् किसी भी दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

(D) परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

नोट :– पात्र अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट के अलावा अन्य किसी भी माध्यम से नहीं भेजा जावेगा। **अतः अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे कार्यालय के वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहें।**

(E) इस परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे। उक्त भर्ती प्रकिया के दौरान किसी को भी

सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान नहीं की जायेगी। भर्ती प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत केवल 03 माह तक ही सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत् जानकारी प्रदान की जायेगी।

स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में विज्ञापित पद रिसेप्शनिस्ट–सह–डाटा एंट्री आपरेटर (टाईपिस्ट) एवं वर्तमान में विज्ञापित कार्यालय सहायक/क्लर्क की अर्हता एवं पात्रता के मापदंड की शैक्षणिक योग्यता समान है, इसलिए पूर्व में जिन अभ्यर्थियों के आवेदन को परीक्षण उपरांत पात्र पाया गया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनके आवेदन इस पद हेतु विचार में लिए जाएंगे तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिनके आवेदन पत्र अपात्र पाए गए हैं यदि वे इस विज्ञापित पद हेतु निर्धारित योग्यता रखते हैं वे भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

स्थानः– राजनांदगांव
दिनांकः– 13.08.2025

13/8/2025

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजनांदगांव (छ0ग0)

आवेदन–पत्र का प्रारूप

कार्यालय सहायक/क्लर्क (संविदा) के पद पर नियुक्ति हेतु

नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चस्पा कर स्व प्रमाणित करें।

प्रति,

कार्यालय, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव,
ए0डी0आर0 भवन, जिला न्यायालय परिसर,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम :– ....

2. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :– ....

(अंग्रेजी के केपिटल लेटर्स में) :– ....

3. लिंग (संकेतांक) पुरूष–1, महिला–2, अन्य–3 [   ]

4. पिता/पति का नाम :– ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में) :– ....

....

....

6. (ब) स्थायी पता :– ....
(यदि पत्र व्यवहार का पता एवं स्थायी पता एक ही है तो तदैव लिखें)

....

....

7. जन्म तिथि (अंको में) :– [   ]

8. जन्म तिथि (शब्दों में) :– ....

9. दिनांक 01.01.2025 को आयु वर्ष माह दिन :– वर्ष [   ] माह [   ] दिन [   ]

10. क्या अभ्यर्थी छ0ग0 राज्य का मूल निवासी है? हां/नही :– [   ]
(समक्ष अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण– पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

11. (अ) क्या अभ्यर्थी छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं [   ]
यदि हां तो समक्ष अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

12. रोजगार कार्यालय का जीवित :– ....

पंजीयन क्रमांक व दिनांक :– ....

13. रोजगार कार्यालय का नाम :– ....

14. क्या आप विवाहित है? (हां/नही) :– [ ]

15. यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि :–

16. जीवित बच्चों की संख्या :–

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :– ....
(प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

18. क्या अभ्यर्थी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं (यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) [ ]

19. क्या अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किया गया हो तो उसका विवरण– :– ....

20. अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर (In English Letters) :– ....

21. स्व–प्रमाणित संलग्न प्रमाण–पत्रों की सूची :– ....
टीप– प्रमाण–पत्र नीचे दिये अनुक्रम में संलग्न करें।

प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न है/संलग्न नहीं।
1. हाई स्कूल प्रमाण–पत्र	....
2. हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण–पत्र	....

3. स्नातक प्रमाण–पत्र ....

4. तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....

5. छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण–पत्र ....

6. छ0ग0 का स्थायी जाति प्रमाण–पत्र ....
(सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र)

7. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण–पत्र ....

8. अन्य ....

//घोषणा–पत्र//

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न दस्तावेज मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है एवं आवेदित पद के लिये मैं निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गयी कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर उक्त पद के लिये मेरी उम्मीदवारी रद्द या निरस्त किये जाने योग्य होगी।

स्थानः– ....

दिनांकः– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
(पूरा नाम एवं पता)

नाम :– ....

पता :– ....

....

मोबाईल नं0:–..

ई–मेलः– ....

(मोबाईल नंबर अनिवार्य रूप से भरें)